आंतरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री का भाषण

(दिनांक 7 फरवरी, 2010)

आज हम यहां अपने देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर केन्द्र और राज्य सरकारों को निरंतर और परस्पर समन्वय के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रवर्तमान सुरक्षा प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए, अपने सम्मुख आने वाले खतरों का मूल्यांकन करना चाहिए और उनसे निपटने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही इस सम्मेलन का मूल विचारणीय विषय है। इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए मैं गृहमंत्री और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सम्मेलन में होने वाली चर्चा से हमारी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

बहनों और भाइयों,

हमारी सुरक्षा को जो बड़े खतरे हैं, उनसे आप सब लोग वाकिफ हैं। हमारे देश में आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए सीमापार से उग्रवादी ग्रुप अपनी गतिविधियां चलाते हैं। जम्मू-कश्मीर इन गतिविधियों का सबसे ज्यादा शिकार होता है। देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हिंसा और अलगाववाद की समस्याएं हैं। कई राज्य वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, जिसको मैंने अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बांटना चाहते

हैं। इन सभी खतरों का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे समाज और देश के लिए उत्पन्न ये खतरे हमारे लिए ऐसी चुनौतियां हैं जिनके मुकाबले में हर कीमत पर हमें सफलता प्राप्त करनी है।

बहनों और भाइयों,

जब हम गत अगस्त 2009 में मिले थे, तब मैंने बताया था कि अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जनवरी से अगस्त के बीच हमने कौन से कदम उठाए थे। इनमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नै और हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन शामिल था। तब से हमने कुछ और कदम उठाए हैं। अब आसूचना ब्यूरो का बहु-एजेंसी केन्द्र (MAC) लगातार real time basis पर सब एजेंसियों, जिनमें राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों की एजेंसियां शामिल हैं, के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है। इसी प्रकार अन्य एजेंसियों को भी बहु-एजेंसी केन्द्र के साथ आसूचनाओं का आदान-प्रदान करना होता है। यह केन्द्र 24 घण्टे काम करता है। मुझे आशा है कि आसूचनाओं और जानकारियों के आदान-प्रदान की यह व्यवस्था न सिर्फ हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वालों को पकड़ने में मददगार साबित होगी बल्कि इससे ऐसे नुकसान को रोका भी जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि गृह मंत्रालय ने केन्द्र और राज्यों के बीच real time आसूचना और सुरक्षा संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए समर्पित और सुरक्षित online connectivity स्थापित करने की पहल भी की है। मैं सभी मुख्य मंत्रियों से आग्रह करुंगा कि वे इन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं।

हमने कुछ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति की है। आतंकवाद विरोधी बलों के त्वरित संचलन (quick movement) के लिए अब राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के महानिदेशक तथा कुछ अन्य पदनामित अधिकारियों को वायुयान प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह बल संयुक्त और निजी क्षेत्रों की स्थापनाओं और उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच और अभियोजन के लिए मामले सौंपे जाने के साथ एजेंसी ने अपना काम शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी राज्य इस एजेंसी का अधिकतम लाभ उठाएंगे ताकि आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई अधिक शक्तिशाली और संगठित रूप में हो सके।

नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले ने हमें अपने समुद्रतटीय सुरक्षा को मजबूत बनाने की आवश्यकता के प्रति सावधान किया था। इस मामले पर एक संगठित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समुद्रतटीय सुरक्षा के विषय पर राष्ट्रीय समिति बनाई गई है। भारतीय समुद्रतटीय क्षेत्र में गश्त और निगरानी का स्तर बढ़ाने और समुद्रतटीय सुरक्षा में योगदान दे सकने वाली विविध एजेंसियों के बीच ज्यादा समन्वय करने के लिए इस समिति ने कार्रवाई शुरू कर दी है। समुद्रतटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बायोमीट्रिक सुविधाओं से युक्त बहूद्देश्यीय परिचय-पत्र जारी करने का काम सितंबर 2010 तक पूरा हो जाने की आशा है। नावों और पोतों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आई है। मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देकर उन्हें राज्य सरकारों को सूचित किया जा चुका है। इन कदमों से, तथा उठाए जा रहे अन्य कदमों से तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने में काफी सहायता मिलेगी।

बहनों और भाइयों,

हालांकि हमने विभिन्न मोर्चों पर प्रगति की है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि केन्द्र सरकार को अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं इस अवसर पर यहां उपस्थित आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि हम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता और कोशिशों में कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन हमारी सफलता बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करती है कि राज्य सरकारें इस दिशा में अपनी ओर से क्या कार्रवाई करती हैं। कुछ दिनों पहले राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत करते हुए मैंने कहा था कि आज ऐसे कई मामले हैं जिन्हें हल करने के लिए न केवल प्रभावित राज्यों के बीच बल्कि केन्द्र और राज्यों के बीच भी समन्वय जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा निश्चय ही एक ऐसा मसला है, और ऐसा भी जो हमारे विकास और प्रगति की रफ्तार पर असर डालता है।

समन्वित प्रयासों के अलावा, कुछ ऐसे विशिष्ट कदम हैं जो राज्य सरकारें उठा सकती हैं। इस मौके पर मैं मुख्य मंत्रियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने राज्यों में स्पेशल इंटरवेंशन यूनिटें तैयार करें ताकि त्वरित कार्रवाई टीमों की गति और निर्णायक क्षमता बढ़ाई जा सके। आप अपने राज्यों में विशेष कमाण्डो बल तैयार कर सकते हैं जिन्हें आतंकवादी कार्रवाइयों को रोकने के लिए तैनात किया जा सकता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि राज्यों की विशेष शाखाओं की क्षमताओं को मजबूत करने में सहायता देने के लिए बनाई गई केन्द्रीय योजना का आप पूरा लाभ उठाएं।

किसी भी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे पुलिस कर्मियों का होना बेहद जरूरी है, जो भलीभांति प्रशिक्षित भी हों। पुलिस कर्मियों की अपर्याप्त

संख्या और उनके प्रशिक्षण की कमी के मसले को बार-बार उठाया जाता रहा है। दुर्भाग्य से, इस दिशा में कुछ ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। गृह मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े बताते हैं कि सितम्बर 2009 के अंत तक राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में स्वीकृत पदों में से लगभग तीन लाख चौरानवे हजार पद खाली पड़े हैं। यह कुल स्वीकृत पदों का लगभग 20% है, जो एक बहुत बड़ा अनुपात है। मैं मुख्य मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि वे इन खाली पदों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें। हमारे पुलिस बलों को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। इस समय सभी राज्यों को मिलाकर पुलिस बजट का लगभग 80 प्रतिशत भाग वेतन, भत्तों और पेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राज्यों को चाहिए कि वे पुलिस बजट में बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के लिए रखी गई राशि का अनुपात बढ़ाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य इस दिशा में अधिक प्रयास करेंगे और पुलिस कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा उन्हें मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अपने बजट में आवंटन बढ़ाएंगे। हमें ऐसे पुलिस और अन्य सरकारी कर्मियों को विशेष प्रोत्साहन देने पर भी विचार करना चाहिए जो कठिन इलाकों में तैनात होते हैं।

बहनों और भाइयों,

हमारे सामने जो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, उन पर इस सम्मेलन के दौरान कुछ विस्तार से चर्चा होगी। मैं उनमें से कुछ पर संक्षेप में अपने विचार रखना चाहूंगा। जहां तक जम्मू-कश्मीर का संबंध है, वहां 2008 से 2009 के बीच आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। हालांकि, इसी दौरान घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो चिंता का विषय हैं। उत्तर-पूर्व में भी असम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, 2008 की तुलना में 2009 में ऐसी घटनाओं में कमी आई है। हालांकि, इसी

अवधि में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं और उनमें मारे गए नागरिकों और सुरक्षा-कर्मियों की संख्या बढ़ी है। यह चिंताजनक है। वामपंथी उग्रवादी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लगातार महत्वपूर्ण स्थापनाओं और निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। आपको इस सम्मेलन में इस समस्या से सामूहिक रूप से निपटने के तौर-तरीकों को ढूंढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है, वामपंथी उग्रवाद से इस तरह से निपटा जाना चाहिए कि आम लोग, विशेषकर वे, जो आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे हैं, अपने को अलग-थलग महसूस न करें। वामपंथी उग्रवाद से निपटने की कार्रवाई प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ होनी चाहिए ताकि उन्हें राष्ट्रीय प्रगति की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। आदिवासी समुदायों को हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिलना चाहिए। यह तभी संभव है जब आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मैं नकली नोटों के खतरे के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। ऐसे संकेत हैं कि नकली भारतीय नोट देश से बाहर छपकर भारत में तस्करी के जरिए लाए जाते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए केन्द्र और राज्य एजेंसियों द्वारा समन्वित प्रयास करने की जरूरत है। कई बार नकली नोटों के पकड़े जाने की FIR दर्ज नहीं की जाती, खासकर जब बैंकों द्वारा ऐसे नोट पकड़े जाते हैं। नकली नोटों से संबंधित सभी मामलों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। जैसा कि गृह मंत्रालय ने पहले ही सुझाव दिया है, आप नकली भारतीय मुद्रा नोटों को पकड़े या पाये जाने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक नोडल

एजेंसी नामित कर सकते हैं और इस मामले में निरंतर निगरानी रखने के लिए राज्य स्तर की एक समिति बना सकते हैं।

बहनों और भाइयों,

हमारा मार्ग कठिन है परंतु दृढ़ निश्चय तथा समन्वित प्रयासों से हम इस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्मेलन में गंभीर मसलों पर विचार-विमर्श एक दूसरे के हाथ मज़बूत करने की भावना के साथ किया जाएगा। हम तभी सफल होंगे, जब अपनी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए संगठित रूप से कोशिश करें। अंत में मैं आप सब के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रकट करता हूं कि आप अपने प्रयासों में सफल हों। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन से आंतरिक सुरक्षा मसलों के प्रति बेहतर समझदारी पैदा होगी और हम अपने सामने आ रहे खतरों का मुकाबला अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकेंगे।

धन्यवाद ।

....